



UPFD010073992021

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश, पोक्सो  
न्यायालय संख्या-1 फिरोजाबाद।

उपस्थित: अवधेश कुमार सिंह ..... (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र वाद संख्या-2037 सन 2021

CNR NO.UPFD01007399-2021

उत्तर प्रदेश राज्य

-----अभियोजक।

बनाम

1- रवि पुत्र हरी सिंह, निवासी नई बस्ती गड्डा वाली गली, थाना दक्षिण, जिला  
फिरोजाबाद।

2- राजुल उर्फ राजू पुत्र उमेश चन्द्र, निवासी निकाऊ, थाना करहल, जिला  
मैनपुरी।

..... अभियुक्तगण

मुकदमा अपराध संख्या-150 सन 2020

धारा-452, 376, 419, 506 भा० दं०सं० व

धारा-67 क आई०टी० एक्ट,

थाना दक्षिण, जिला फिरोजाबाद।

### निर्णय

1- अभियुक्तगण रवि व राजुल उर्फ राजू का परीक्षण सत्रवाद  
संख्या-2037/2021 मुकदमा अपराध संख्या-150 सन 2020, अन्तर्गत  
धारा- 452, 376, 419, 506 भा० दं०सं० व धारा- 67 क आई०टी० एक्ट  
थाना दक्षिण के तहत किया गया।

भा०दं०वि० की धारा 228 क में दिये गये विधिक उपबन्ध के आधार  
पर इस मामले में पीड़िता के नाम का उल्लेख करना समीचीन नहीं है और उसे निर्णय  
में पीड़िता शब्द से ही निर्दिष्ट किया जा रहा है।

2- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिया के पड़ोस में  
रहने वाला रवि दिनांक 24-10-2019 को उसके घर में जबरन घुस आया।  
उस समय वादिया घर पर अकेली थी। उसकी विकलांग माँ दवा लेने हेतु बाजार  
गयी थी, तभी वादिया को अकेली देख अभियुक्त रवि ने उसे तमंचा दिखाकर  
जबरन बलात्कार किया और उसकी अश्लील वीडियो अपने मोबाइल से बनायी  
और धमकी दी कि यह बात तुने अपनी माँ या किसी अन्य को बतायी तो तेजाब

डालकर तेरा चेहरा खराब कर देगा। वादिया ने लोक लाज के कारण यह बात किसी को नहीं बतायी। उसी का फायदा उठाकर अभियुक्त आये दिन वादिया को ब्लैकमेल करने लगा और उसके साथ जब चाहता, बलात्कार करता तथा उससे अवैध पैसों की वसूली करता। जो भी वादिया के भाइयों द्वारा उसके खाते में पैसा भेजे जाते उन्हें ए०टी०एम० के जरिये निकलवाकर अभियुक्त ले लेता था, न देने पर अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देता था। जब अभियुक्त ने वादिया ने एक लाख रूपये की मांग की। वादिया द्वारा उक्त रकम देने से मना करने पर अभियुक्तगण रवि, अंजू व राजू द्वारा एक सुनियोजित योजना के तहत एक फर्जी आई०डी० बनाकर, जिस पर कन्टेक्ट नम्बर रवि का अंकित है, उसको दिनांक 11-03-2020 को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस बात की जानकारी वादिया को हुई तब उसने एक प्रार्थनापत्र महिला थाना सिविल लाइन में दिया तो उसने अपनी आई०डी० को बन्द कर लिया और वादिया को निरन्तर धमकी दे रहा है कि तू कानूनी कार्यवाही बन्द कर ले अन्यथा वह वादिया को बर्बाद कर देगा और कहीं का नहीं छोड़ेगा। दिनांक 22-05-2020 को वादिया के ऊपर एसिड अटैक करने का प्रयास किया, लेकिन वादिया बाल बाल बची। इस सम्बन्ध में वादिया ने थाना दक्षिण में एक प्रार्थनापत्र दिया था। अभियुक्तगण काफी दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ विभिन्न थानों में मुकदमें पंजीकृत हैं। वादिया को डर है कि वे कहीं उसके एवं उसकी माँ के साथ कोई अप्रिय घटना कारित न कर दें। इस सम्बन्ध में वादिया ने थाना सिविल लाइन व थाना दक्षिण में प्रार्थनापत्र दिया था, किन्तु कोई कार्यवाही न होने पर दिनांक 29-06-2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, फिर भी कोई कार्यवाही न होने पर उसके द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा - 156(3) दं०प्र०सं० सम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3- वादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दं०प्र०सं० पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में सम्बन्धित थाने पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसकी चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या -150/2020 अन्तर्गत धारा 376,452,384, 326B, 506 भा० दं०सं० कायम की गयी और उसका इन्द्राज जी०डी० में किया गया।

4- विवेचक द्वारा उक्त प्रकरण की विवेचना की गयी। दौरान विवेचना विवेचक ने घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शानजरी तैयार किया तथा गवाहान के बयान अंकित किये। बाद विवेचना विवेचक ने पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए अभियुक्तगण रवि एवं राजुल उर्फ राजू के विरुद्ध, धारा-452,376,419,506 भा० दं०सं० व धारा- 67 क आई०टी० एक्ट के अन्तर्गत आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

5- उक्त प्रकरण को सत्र परीक्षण हेतु दिनांक 16-09-2021 को

माननीय सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया, जहाँ से इस न्यायालय को विचारण हेतु अन्तरण होकर प्राप्त हुआ।

6- न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण रवि एवं राजुल उर्फ राजू पर दिनांक 18-05-2022 को अन्तर्गत धारा- 452, 376, 419, 506 भा० दं०सं० व धारा- 67 क आई०टी० एक्ट का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा परीक्षण की मांग की।

7- अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए पी०डब्लू०-1 पीड़िता, पी०डब्लू०-2 डा० साधना राठौर, पी०डब्लू०-3 आरक्षी/लिपिक सुनील कुमार, पी०डब्लू०-4 उपनिरीक्षक उमर फारूख, पी०डब्लू०-5 एस०एच०ओ० श्याम सिंह को परीक्षित कराया गया है।

8- अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किये गये जिसमें अभियुक्तगण ने आरोप को गलत बताया है। पी०डब्लू०-1 ने गलत बयान दिया है तथा प्रपत्र को गलत साबित किया है। पी०डब्लू०-2 ने गलत बयान दिया है तथा प्रपत्र गलत साबित किये है। पी०डब्लू०-3 ने गलत बयान दिया है तथा प्रपत्रों को गलत साबित किया है। पी०डब्लू०-4 ने गलत बयान दिया है तथा प्रपत्र गलत साबित किया है। पी०डब्लू०-5 ने गलत बयान दिया है तथा प्रपत्र गलत साबित किया है। गवाहान रंजिशन झूठी गवाही दे रहे है। मुकदमा गलत चलना कहा है। अभियुक्तगण ने अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का कथन किया है तथा यह कहा है कि पीड़िता के साथ कोई घटना नहीं हुई है। पीड़िता झूठे मुकदमें लिखाकर पैसा ऐठने का काम करती है। वह निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है।

9- अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०-1 वादिया/पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि- " दिनांक 24-10-2019 को दोपहर करीब एक से दो बजे के बीच साक्षी की माँ दवा लेने अस्पताल गयी थी। उसी समय रवि, अन्जू व राजू उसे अकेला पाकर उसके घर में घुस आये और उसके मुंह में तमाचा मारा तथा कट्टा रख दिया और उसके साथ बलात्कार किया तथा उसका अश्लील वीडियो बना लिया। जब उक्त उसके घर से गये तब धमकी दे गये कि अगर तुमने यह बात किसी को बतायी तो यह वीडियो वायरल कर दूँगा और तू कहीं की नहीं रहेगी, फिर कुछ समय बाद उसे धमकी देने लगे और ब्लैकमेल करने लगे कि अगर तू पैसे लेकर नहीं आयी तो तेरा वीडियो वायरल कर दूँगा। उक्त लोग साक्षिया से कभी 25 हजार रुपये, कभी 10 हजार रुपये मांगते थे और उसे आये दिन बुलाते रहते थे तथा उसके साथ बलात्कार करते थे। जब जब पैसे मंगाते थे, तब तब उसे जाना पड़ता था। साक्षिया ने अपने घर वालों को इसलिए नहीं बताया कि उसकी माँ आये दिन बीमारियों से जूझती रहती है और वह हार्ट-अटैक की मरीज भी है। यह लोग आये दिन उसे बुलाते थे और उसे नशीला पदार्थ का सेवन कराते रहते थे और

मारपीट करते तथा टार्चर करते थे। एक दिन जब वह ज्यादा परेशान हो गयी और उसकी माँ के इलाज के लिए डाक्टर ने पैसे माँगे थे, उसी टाइम दिनांक 08-03-2020 को रवि का फोन आया और बोला कि एक लाख रूपये उसे चाहिए। अगर नहीं आयी तो तेरा वीडियो वायरल कर दूँगा। फिर जब वह ज्यादा परेशान हो गयी तब उसने कहा कि एक लाख रूपये नहीं दूँगी, तुझे जो करना हो कर लो। उसके तीन दिन बाद दिनांक 11-03-2020 को अपने नाम की फेक आई०डी० बनाकर पीड़िता का अश्लील वीडियो वायरल वायरल कर दिया। इसकी जानकारी साक्षिया ने थाना दक्षिण एवं महिला थाना पर दी थी। वहाँ पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसके कुछ दिन बाद जब वह बैंक जा रही थी, तो अभियुक्तगण उसके पीछे-पीछे आकर एसिड अटैक कर दिया जिससे वह बाल बाल बच गयी। चेहरा बचाने के चक्कर में उसका हाथ जल गया था और कुछ दिन बाद फिर राजू का काल आया कि उसने छः मर्डर कर दिये हैं। अगर तूने केस वापस नहीं लिया तो तेरे पूरे परिवार को और तुझे बीच रोड पर मरवा दूँगा। जब पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की तब साक्षिया ने उक्त घटना की बाबत एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० सी०जे०एम० न्यायालय में दिया था। उस पर साक्षिया ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए उसे प्रदर्शक-1 के रूप में साबित किया है। इस साक्षिया ने शपथपत्र को प्रदर्शक-2 के रूप में साबित किया है। इस साक्षिया ने अपने बयान में यह भी कथन किया है कि उसका निचली अदालत में बयान हुआ था। साक्षिया ने बयान धारा 164 दं०प्र०सं० पर लगे फोटो व हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए उसे प्रदर्शक-3 के रूप में साबित किया है। इस घटना के सम्बन्ध में पुलिस ने साक्षिया का बयान लिया था।

इस साक्षिया द्वारा अपने बयान धारा-164 दं०प्र०सं०में यह कथन किया गया है कि दिनांक 24-10-2019 को उसकी माँ घर से बाहर बाजार गयी थी। उस समय वह घर पर अकेली थी। उसके घर पर रवी शंखवार घुस आया। रवि ने उसे थप्पड़ मारा और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। रवि ने उसके गन्दे गन्दे फोटो खींचे। रवी ने उसे धमकी दी कि किसी को भी कुछ बताया तो वह तेरा चेहरा तेजाब से जला देगा। उसने शर्म की वजह से यह बात किसी को नहीं बतायी। रवी उससे 20,000/-रूपये या फिर कभी 25,000/-रूपये मांगता था। वह रवि को ए०टी०एम०से कैश निकाल कर जहाँ पर भी उसे बुलाता था, वह वहाँ पर जाकर उसे पैसे दे आती थी। दिनांक 08-03-2020 को पीड़िता ने पैसे देने से मना कर दिया था, क्योंकि रवि ने उससे एक लाख रूपये माँगे थे। जब पीड़िता ने पैसे देने से मना कर दिया तो रवि ने उसके फेसबुक पर एक गलत आई०डी० बनाकर उस पर पीड़िता के अश्लील फोटो डाल दिये। उसने यह गलत आई०डी० महिला थाने में जाकर बन्द करायी थी। तब उसे पता चला कि रवि की बहन अन्जू शंखवार ने यह गलत आई०डी०

बनायी थी। दिनांक 24-05-2020 को उसके पास राजू का फोन आया। राजू ने उसे धमकी दी कि वह छः लोग मार चुका है, अगर कार्यवाही बन्द नहीं की तो वह पीड़िता को भी मार देगा। दिनांक 22-05-2020 को पीड़िता रास्ते में जा रही थी, तो उसके साथ रवि ने एसिड अटैक किया। तब वह बच गयी थी। जब वह थाने गयी तो उसे वहाँ से भगा दिया था।

**10-** अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-2 डा० साधना राठौर ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि - "दिनांक 27-07-2020 को इस साक्षिया ने समय करीब एक बजे उक्त प्रकरण की पीड़िता का वाह्य एवं अन्दरूनी परीक्षण किया था। घटना का दिनांक व समय 8 मार्च 2020 अपरान्ह पीड़िता द्वारा बताया गया। एफ०आई०आर० दिनांक 20-07-2020 मुकदमा अपराध संख्या-150/2020 है। उसके द्वारा परीक्षण दिनांक 27-07-2020 को दोपहर 1.00 बजे शुरू किया गया था। पीड़िता को परीक्षण हेतु महिला होमगार्ड सत्यवती द्वारा लाया गया था। पीड़िता द्वारा जन्मतिथि 07-01-1997 बतायी गयी थी। पहचान चिन्ह ठोड़ी के बायीं तरफ काला तिल था। पीड़िता अविवाहित थी तथा उसने माहवारी की तिथि दो-तीन दिन पूर्व की बतायी थी। घटना के सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा बताया गया कि दिनांक 24-10-2019 को तीन लोगो ने घर में घुस कर बलात्कार करके वीडियो बनाया व धमकाकर बार बार बलात्कार करते थे। आखिरी बात मार्च 2020 को बलात्कार किया व लगातार धमकी दे रहे थे।

वाह्य परीक्षण-पीड़िता चेतन अवस्था में थी। पल्स रेट 74 प्रति मिनट, बी०पी० 118/74, लम्बाई 4.8" वजन 46 के०जी० था। पीड़िता के काँख एवं गुप्तांग के बाल सेव्ड थे। छाती विकसित थी। शरीर के किसी भी भाग में कोई चोट नहीं पायी गयी।

आन्तरिक परीक्षण-पीड़िता के जननांग पर किसी भी तरह की कोई चोट नहीं पायी गयी, क्योंकि घटना तीन माह पहले की थी। अतः कोई नमूना एकत्र नहीं किया।

पैथालॉजी परीक्षण-गर्भावस्था की जांच हेतु पेशाब को जाँच हेतु भेजा गया।

सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट-पैथालाजी रिपोर्ट नम्बर-402/28-07-2020 पेशाब की जांच रिपोर्ट निगेटिव पायी गयी।

पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या-12 अ/3 लगायत 12 अ/8 प्राथमिक चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट मौजूद है। उस पर प्रदर्श क-4 डाला गया। इस साक्षिया ने पूरक रिपोर्ट प्रदर्श क-5 को भी साबित किया है।

**11-** अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-3 आरक्षी/लिपिक सुनील कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि - "दिनांक 20-07-2020 को यह साक्षी थाना दक्षिण पर बतौर आरक्षी/लिपिक तैनात था। उस दिन साक्षी ने न्यायालय के आदेश से मुकदमा अपराध संख्या-150/2020 धारा

376,452,34,326,506 भा०दं०सं० का मुकदमा पंजीकृत किया था, जिसकी चिक एफ०आई०आर० पत्रावली पर कागज संख्या-3 अ/1 लगायत 3 अ/2 है। उस पर प्रदर्श क-6 डाला गया। जिसका खुलाशा जी०डी० की रपट संख्या-57 समय 17.41 बजे उसी दिनांक को किया था जो पत्रावली पर कागज संख्या-6 अ/3 है। उस पर प्रदर्श क-7 डाला गया।

**12-** अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-4 उपनिरीक्षक फारूख उमर ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि- " दिनांक 21-07-2020 को यह साक्षी थाना दक्षिण पर बतौर उपनिरीक्षक तैनात था। उस दिन साक्षी ने उक्त प्रकरण की विवेचना ग्रहण की थी। दौरान विवेचना इस साक्षी ने नकल चिक, नकल रपट, बयान एफ०आई०आर० लेखक अंकित किये तथा पीड़िता को मेडिकल परीक्षण कराने हेतु महिला होमगार्ड सत्यवती के साथ जिला अस्पताल फिरोजाबाद भेजा गया। थाना कार्यालय से पीड़िता के मेडिकल प्रपत्र प्राप्त कर उसका अवलोकन किया गया। पीड़िता का बयान धारा-161 दं०प्र०सं० महिला आरक्षी ज्योति यादव से अंकित कराया गया तथा उसका अवलोकन किया गया। साक्षी पीड़िता के साथ थाने से घटनास्थल पर आकर घटनास्थल का निरीक्षण किया था। न्यायालय के समक्ष पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० अंकित कराया गया तथा उसका अवलोकन किया गया। पीड़िता के घर पर आकर उसके परिवार की मौजूदगी में पीड़िता का मजीद बयान अंकित किया तथा धारा-384, 326 भा०दं०सं० लोप किया गया और धारा-419 भा०दं०सं० व धार 67 क आई०टी० एक्ट की बढोत्तरी की गयी। मुकदमा उपरोक्त में आई०टी० एक्ट की बढोत्तरी होने के कारण अग्रिम विवेचना प्रभारी निरीक्षक द्वारा की गयी जायेगी। इस साक्षी ने पत्रावली पर उपलब्ध नक्शानजरी कागज संख्या-5 अ प्रदर्श क-8 के रूप में साबित किया है।

**13-** अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-5 एस०एच०ओ० श्याम सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि- "दिनांक 01-09-2020 को यह साक्षी बतौर प्रभारी निरीक्षक थाना दक्षिण पर तैनात था। उस दिन साक्षी ने उक्त अभियोग में धारा 67 क आई०टी० एक्ट की बढोत्तरी होने के कारण उक्त अभियोग की विवेचना ग्रहण की थी। दौरान विवेचना इस साक्षी ने पूर्व विवेचक द्वारा किता किये गये पर्चों का अवलोकन किया तथा महिला आरक्षी की मौजूदगी में पीड़िता का मजीद बयान अंकित किया। डा० साधना राठौर का बयान जिला अस्पताल में अंकित किये। साक्षी द्वारा अभियुक्तगण अन्जु व राजू की तलाश की गयी। स्वतन्त्र साक्षीगण जितेन्द्र कुमार व मनोज कुमार के बयान अंकित किये। आरोपी अन्जु शंखवार के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर उसकी नामजदगी गलत पायी गयी तथा अभियुक्त राजुल उर्फ राजू के विरुद्ध धारा -506 भा०दं०सं० व अभियुक्त रवि के विरुद्ध धारा -376, 452,419, 506 भा०दं०सं० व 67 क आई०टी० एक्ट का पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपपत्र

न्यायालय में प्रेषित किया जो पत्रावली पर कागज संख्या-4अ/1 लगायत 4अ/3 है। उस पर प्रदर्श क-9 डाला गया।

14- मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

15- अभियोजन की तरफ से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा वादिया/पीड़िता की अनुमति के बिना उसके घर में घुस कर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ बलात्कार किया और छल करने के आशय से एक फर्जी आई०डी० बनाकर पीड़िता की अनुमति के बिना उसकी अश्लील फोटो मोबाइल से बनाकर फेसबुक पर वायरल कर दिया तथा जान से मारने की धमकी दी, जिसे अभियोजन साक्षियों द्वारा पूर्णतया साबित किया गया है, इसलिए अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

16- बचावपक्ष द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण ने पीड़िता के घर में घुस कर उसके साथ कोई बलात्कार नहीं किया है और न ही फर्जी आई०डी० बनायी तथा न ही पीड़िता के अश्लील फोटो मोबाइल से बनाकर फेसबुक पर वायरल किया एवं न ही जान से मारने की धमकी दी। अभियुक्तगण ने पीड़िता के साथ कोई घटना कारित नहीं की है। पीड़िता झूठे मुकदमें लिखाकर पैसा ऐठने का कार्य करती है। अभियोजन साक्षियों के बयानों में पर्याप्त भिन्नता है। अभियोजन साक्षियों के बयानों में घोर विरोधाभास है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये।

17- सर्वप्रथम पत्रावली पर उपलब्ध तहरीर के सम्बन्ध में विचार किया जाना आवश्यक है। तहरीर के अनुसार वादिया के पड़ोस में रहने वाला रवि दिनांक 24-10-2019 को उसके घर में जबरन घुस आया। उस समय वादिया घर पर अकेली थी। उसकी विकलांग माँ दवा लेने हेतु बाजार गयी थी, तभी वादिया को अकेली देख अभियुक्त रवि ने उसे तमंचा दिखाकर जबरन बलात्कार किया और उसकी अश्लील वीडियो अपने मोबाइल से बनायी और धमकी दी कि यह बात तूने अपनी माँ या किसी अन्य को बतायी तो तेजाब डालकर तेरा चेहरा खराब कर देगा। वादिया ने लोक लाज के कारण यह बात किसी को नहीं बतायी। उसी का फायदा उठाकर अभियुक्त आये दिन वादिया को ब्लैकमेल करने लगा और उसके साथ जब चाहता, बलात्कार करता तथा उससे अवैध पैसों की वसूली करता। अभियुक्तगण रवि, अंजू व राजू द्वारा एक सुनियोजित योजना के तहत एक फर्जी आई०डी० बनाकर, जिस पर कन्टेक्ट नम्बर रवि का अंकित है, उसको दिनांक 11-03-2020 को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

18- इस सम्बन्ध में जहाँ तक मौखिक साक्ष्य का प्रश्न है तो साक्षी पी०डब्लू०-1 जो कि इस मुकदमें की पीड़िता है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दं०प्र०सं० को प्रदर्श क-1 व शपथपत्र को

प्रदर्श क-2 एवं बयान धारा-164 दं०प्र०सं० को प्रदर्श क-3 के रूप में साबित किया है तथा अपनी मुख्य परीक्षा में ही यह कथन किया है कि यह लोग साक्षिया से कभी 25000/-रूपये कभी 10,000/-रूपये मांगते थे और पीड़िता को आये दिन बुलाते थे। दिनांक 08-03-2020 को साक्षिया के पास रवी का फोन आया और बोला कि एक लाख रूपये उसे चाहिए। अगर नहीं आयी तो तेरा वीडियो वायरल कर दूँगा। फिर जब वह ज्यादा परेशान हो गयी तब उसने कहा कि एक लाख रूपये नहीं दूँगी, तुझे जो करना हो कर लो। उसके तीन दिन बाद दिनांक 11-03-2020 को अपने नाम की फेक आई०डी० बनाकर पीड़िता का अश्लील वीडियो वायरल कर दिया। इसकी जानकारी साक्षिया ने थाना दक्षिण एवं महिला थाना पर दी थी। इस साक्षिया द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि साक्षिया और रवि का घर आमने सामने है। अन्जू रवी की खास बहन है और राजू रवि के मामा का लड़का है। राजू करहल मैनपुरी का रहने वाला है। आगे साक्षिया ने कहा है कि रवि को पैसे देने का काम घटना के बाद शुरू हुआ था, जो पैसे उसने रवि को दिये वह पैसे उसने ए०टी०एम० से निकाले थे और रवि को दिये थे। ए०टी०एम० से साक्षिया ने स्वयं निकाले और रवि को नगद दिये। रवि जहाँ जहाँ बुलाते थे, वहाँ वहाँ साक्षिया पैसे देने जाती थी। उसे याद नहीं है कि उसने पैसे कहाँ-कहाँ जाकर दिये। उसे धारा-156(3) दं०प्र०सं० के प्रार्थनापत्र में 25 हजार रूपये व 10 हजार रूपये की रकम का उल्लेख नहीं किया है। साक्षिया ने पुलिस को बताया था कि जब रवि ने उससे बड़ी रकम दो लाख रूपये तक की मांग की तब साक्षिया उससे असहमत हुई। यह सही है कि साक्षिया ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दं०प्र०सं० में अपनी माँ को बाजार जाना बताया है और मजिस्ट्रेट साहब के बयान में भी उसने माँ को बाजार जाना बताया था। यह सही है कि धारा-164 दं०प्र०सं० के बयान में साक्षिया ने अस्पताल शब्द का प्रयोग नहीं किया है। धारा-156(3) दं०प्र०सं० के प्रार्थनापत्र में दिनांक 24-10-2019 को घटना का समय अंकित नहीं कराया है। सुबह, दोपहर व शाम का समय अंकित नहीं कराया है। पुलिस को दिये बयान में भी उसने कोई समय नहीं नहीं बताया है। उसने घटना की तारीख भी नहीं बतायी है। उसने दिनांक 24-10-2019 की घटना का समय नहीं बताया है। आगे साक्षिया ने कहा है कि धारा-156(3) दं०प्र०सं० के प्रार्थनापत्र में यह बात नहीं लिखायी है कि तीनों लोग घर में घुस आये। तीनों लोगों के घर में घुस आने वाली बात उसने मजिस्ट्रेट साहब को बतायी थी या नहीं उसे याद नहीं है। गवाह को धारा-164 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि बयान में तीनों मुल्जिमानों के दिनांक 24-10-2019 को घर में घुसने वाली बात नहीं लिखी है। साक्षिया ने यह बात कि उसे नशीले पदार्थ का सेवन कराते थे, अपने धारा-156(3) दं०प्र०सं० एवं मजिस्ट्रेट को दिये बयान तथा पुलिस को दिये बयान में हड़बड़ाहट की वजह से नहीं बतायी थी, क्योंकि उसके साथ

जो दुर्घटना घटी थी, वह ताजा थी। यह बात उसने धारा-164 दं०प्र०सं० में इसलिए नहीं बतायी थी, क्योंकि उन्होंने उससे पूछा ही नहीं था। दिनांक 08-03-2020 की घटना के बारे में उसने पुलिस को नहीं बताया था। एसिड अटैक के बारे में समय और स्थान उसने मजिस्ट्रेट साहब को इसलिए नहीं बताया था, क्योंकि उन्होंने उससे पूछा नहीं था। हड़बड़ी और अत्यधिक परेशानी के कारण धारा-156(3) दं०प्र०सं० के प्रार्थनापत्र में एसिड अटैक वाली बात नहीं लिखायी थी। पुलिस को भी हड़बड़ी के कारण नहीं बताया। उसने धारा-156(3) दं०प्र०सं० के प्रार्थनापत्र में एसिड के हमले से हाथ जलने वाली बात नहीं लिखायी है। यह बात हड़बड़ी के कारण नहीं लिखायी है। आगे साक्षिया ने कहा है कि अस्पताल में उसका मेडिकल हुआ था। उसे पता नहीं है कि उनको घटना का दिनांक 08-03-2019 बताया था या नहीं बताया था। साक्षिया ने डाक्टर को अपनी जन्मतिथि 07-01-1997 बतायी बतायी थी। आधार कार्ड जो पत्रावली में उसे दस्तखत सहित दाखिल है, उसमें उसकी जन्मतिथि 10-01-1997 अंकित है।

19- इस साक्षिया द्वारा बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० में यह कथन किया गया है कि साक्षिया के घर पर रवी शंखवार घुस आया। रवि ने उसे थप्पड़ मारा और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। रवि ने उसके गन्दे गन्दे फोटो खींचे। रवी ने उसे धमकी दी कि किसी को भी कुछ बताया तो वह तेरा चेहरा तेजाब से जला देगा। उसने शर्म की वजह से यह बात किसी को नहीं बतायी। रवी उससे 20,000/-रुपये या फिर कभी 25,000/-रुपये मांगता था। वह रवि को ए०टी०एम०से कैश निकाल कर जहाँ पर भी उसे बुलाता था, वह वहाँ पर जाकर उसे पैसे दे आती थी। दिनांक 08-03-2020 को पीड़िता ने पैसे देने से मना कर दिया था, क्योंकि रवि ने उससे एक लाख रुपये मांगे थे। जब पीड़िता ने पैसे देने से मना कर दिया तो रवि ने उसके फेसबुक पर एक गलत आई०डी० बनाकर उस पर पीड़िता के अश्लील फोटो डाल दिये। उसने यह गलत आई०डी० महिला थाने में जाकर बन्द करायी थी। तब उसे पता चला कि रवि की बहन अन्जू शंखवार ने यह गलत आई०डी० बनायी थी। दिनांक 24-05-2020 को उसके पास राजू का फोन आया। राजू ने उसे धमकी दी कि वह छः लोग मार चुका है, अगर कार्यवाही बन्द नहीं की तो वह पीड़िता को भी मार देगा।

20- इस प्रकार पीड़िता के सम्पूर्ण बयान से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त पीड़िता के घर में घुस कर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ जबरन बलात्कार किया तथा उसके अश्लील फोटो खींचे और छल करने के आशय से एक सुनियोजित योजना के तहत अभियुक्त ने पीड़िता के फेसबुक पर एक गलत आई०डी० बनाई और उस पर पीड़िता के अश्लील फोटो डाल दिये एवं पीड़िता की सहमति के बिना उक्त अश्लील फोटो को फेसबुक पर वायरल कर दिया।

21- पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि इस घटना के स्वतन्त्र गवाहान प्रभूदयाल, उमेश शंखवार, अरिवन्द यादव, राजबहादुर, सुरेश व संजय ने अपने अपने बयानों धारा-161 दं०प्र०सं० में यह कथन किया है कि पीड़िता व रवि एक मोहल्ले के रहने वाले हैं, दोनों का मकान आमने-सामने है। मोहल्ले में दोनों के अफेयर की बहुत चर्चा थी। सुनने में आ रहा था कि दोनों शादी करने वाले हैं। रवि के पास पीड़िता के कुछ अश्लील फोटो थे। जब पीड़िता ने रवि से अपने फोटो मांगे तो रवि ने उसे देने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया था। रवि ने पीड़िता के जो अश्लील फोटो खींच रखे थे, उनको एक फर्जी आई०डी० पीड़िता के नाम से बनाकर उक्त अश्लील फोटो वायरल कर दिये, जिसके कारण पीड़िता की समाज में बदनामी हो गयी, इस कारण पीड़िता ने रवि, उसकी बहन अन्जू व रिश्तेदार राजू के विरुद्ध कोर्ट में मुकदमा लिखवा दिया। यह सत्य है कि पीड़िता व रवि के बीच अफेयर था और रवि ने पीड़िता के साथ गलत कार्य किया और रवि ने एक फर्जी आई०डी० पीड़िता के नाम बनाकर उस पर पीड़िता के अश्लील फोटो वायरल कर दिये। इस प्रकार उपरोक्त स्वतन्त्र साक्षीगण के धारा-161 दं०प०सं० के बयानों से भी पीड़िता के कथनों को बल मिलता है और जो घटना कथानक को साबित करने में सहायक सिद्ध होते हैं।

22- साक्षी पी०डब्लू०-4 उपनिरीक्षक उमर फारूख जो इस घटना के प्रथम विवेचक है, जिनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में नक्शानजरी को प्रदर्श क-8 के रूप में साबित किया है तथा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि पीड़िता के आरोप के अनुसार पीड़िता ने अभियुक्त को कई बार ए.टी.एम. से कैश निकाल कर पैसे देना बताया है। पीड़िता ने इस सम्बन्ध में ए.टी.एम. की स्लिप अथवा कोई अन्य प्रपत्र पैसे देने से सम्बन्धित नहीं दिया है। पीड़िता ने अपनी आय का स्रोत एवं रूपये देने का कोई साक्ष्य नहीं दिया है। इसलिए धारा-384 भा०दं०सं० का लोप किया गया। एसिड से सम्बन्धित कोई साक्ष्य न मिलने पर साक्षी ने धारा-326 भा०दं०सं० का लोप किया था। आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि मोहल्ले में चर्चा थी कि दोनों शादी करने वाले हैं, लेकिन फोटो वायरल होने पर दोनों में मनमुटाव हो था।

23- साक्षी पी०डब्लू०-5 एस०एच०ओ० श्याम सिंह जो कि इस प्रकरण के द्वितीय विवेचक है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रेषित आरोपपत्र को प्रदर्श क-9 के रूप में साबित किया है तथा अपनी मुख्य परीक्षा में ही यह कथन किया है कि आरोपी अन्जू शंखवार के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर उसकी नामजदगी गलत पायी गयी तथा अभियुक्त राजुल उर्फ राजू के विरुद्ध धारा-506 भा०दं०सं० एवं अभियुक्त रवि के विरुद्ध धारा-376, 452, 419, 506 व धारा-67 आई०टी० एक्ट का पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर न्यायालय

में आरोपपत्र दाखिल किया। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि स्वतन्त्र गवाह राजबहादुर, सुरेश, संजय, उमेश शंखवार एवं मनोज कुमार ने अपने बयान में बताया था कि पीड़िता एवं रवि एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। दोनों के मकान आमने-सामने है। चर्चा चलती है कि दोनों शादी करने वाले हैं। पीड़िता की बहन ने कहा कि पीड़िता ने रवि की बहन अन्जू व रवि के रिश्तेदार राजू के विरुद्ध कोर्ट से आदेश कराकर मुकदमा लिखा दिया है। यह भी बताया कि उन्होंने मोहल्ले में कभी नहीं सुना कि पीड़िता ने रवि को पैसे दिये या रवि ने पीड़िता के ऊपर एसिड फेंका हो।

24- अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पत्रावली पर जो अश्लील फोटो ग्राफ्स दाखिल किये गये हैं, उन्हें साबित नहीं कराया गया है, इससे यह साबित नहीं है कि उक्त फोटोग्राफ्स पीड़िता के ही हैं।

25- पत्रावली पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य से यह साबित हो चुका है कि पीड़िता के साथ उक्त अपराध अभियुक्त रवि के द्वारा ही कारित किया गया है और पीड़िता के अश्लील फोटो भी फेसबुक पर वायरल किये गये हैं तो मात्र इस आधार पर कि पत्रावली पर दाखिल फोटो ग्राफ्स को साबित नहीं कराया गया है, के आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता। वैसे भी प्रपत्र को साबित कराने का काम अभियोजन का होता है। अतः अभियोजन की इस कमी का लाभ अभियुक्त को प्रदान नहीं किया जा सकता।

26- अभियुक्त को अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, किन्तु अभियुक्त की ओर से अपने बचाव में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार अभियुक्त की ओर से अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत न करना भी अभियोजन कथानक को बल प्रदान करता है।

27- बचावपक्ष की तरफ से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन साक्षियों के बयानों में पर्याप्त भिन्नता है।

28- इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तुत विधि व्यवस्था धरणीधर बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० 2010(6) SCJ 662 में माननीय न्यायालय द्वारा स्थापित किया गया कि-यदि साक्षियों के बयानों में आयी भिन्नता सामान्य प्रकृति की है और एक समय से पश्चात बयान होने पर आई हुई है तो ऐसी भिन्नता कोई विशेष महत्व नहीं रखती। साथ ही यदि उस भिन्नता से घटना का सार प्रभावित नहीं होता है तो उसका लाभ अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा का साक्ष्य व अन्य साक्ष्य अभियुक्त के सम्बन्ध में इतना विश्वसनीय है व अखण्डित है कि वह दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है।

29- उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में यदि देखा जाये तो पीड़िता के साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। अभियोक्त्री सह अपराधी नहीं होती है, बल्कि वह अपराध की पीड़िता है। उसका बयान एक घायल साक्षी

के बयान के रूप में समानता रखता है तथा बिना सम्पुष्टि के ही उसका बयान स्वीकार किया जा सकता है तथा मात्र उसके बयान के आधार पर ही अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है, जब तक कि यह साबित न हो कि उसका साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है।

30- इस प्रकार अभियोजन द्वारा यह साबित किया गया है कि अभियुक्त रवि द्वारा ही पीड़िता के घर में घुस कर उसके साथ बलात्कार की घटना कारित की गयी तथा उसके अश्लील फोटो मोबाइल से खींचकर एक फर्जी आई०डी० पीड़िता के नाम से बनाकर उक्त अश्लील फोटो को फेसबुक पर वायरल कर दिया। इस प्रकार अभियुक्त रवि धारा -452, 376, 419 भा०दं०सं० एवं 67 क आई०टी० एक्ट के अधीन दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

31- पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्त राजुल उर्फ राजू के विरुद्ध विवेचक द्वारा मात्र धारा -506 भा०दं०सं० में आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था, किन्तु पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा सहवन अभियुक्त राजुल उर्फ राजू के विरुद्ध भी धारा -452, 376, 419 भा०दं०सं० एवं 67 क आई०टी० एक्ट आरोप विरचित कर दिया गया था, जो कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से साबित नहीं है, इसलिए अभियुक्त राजुल उर्फ राजू धारा -452, 376, 419 भा०दं०सं० एवं 67 क आई०टी० एक्ट आरोप से दोषमुक्त होने योग्य है।

32- अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी गयी एवं धारा 506 भा०दं०सं० का अपराध कारित किया गया है?

33- पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि साक्षी पी०डब्लू०-1 पीड़िता द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि कुछ दिन बाद राजू का काल आया कि मैंने छः मर्डर कर दिये हैं अगर तुमने केस वापस नहीं लिया तो तेरे पूरे परिवार को और तुझे बीच सड़क पर मरवा दूँगा, जबकि प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दं०प्र०सं० में यह कथन किया गया है कि प्रार्थिया को निरन्तर धमकी दे रहा है कि तू कानूनी कार्यवाही बन्द कर ले अन्यथा मैं तुझे बर्बाद कर दूँगा, मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूँगा। इससे वादिया को क्या आपराधिक अभित्रास उत्पन्न हुआ, इसे अभियोजन द्वारा युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित नहीं किया गया है।

34- उपरोक्त तथ्य, परिस्थितियों, मौखिक साक्ष्य, अभिलेखीय साक्ष्य व विधि व्यवस्थाओं के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियुक्त रवि द्वारा पीड़िता के घर में घुस कर उसके साथ बलात्कार की घटना कारित की गयी तथा उसके अश्लील फोटो मोबाइल से खींचकर एक फर्जी आई०डी० पीड़िता के नाम से बनाकर उक्त अश्लील फोटो को फेसबुक पर वायरल कर दिया। इस प्रकार अभियुक्त रवि धारा -452, 376, 419 भा० दं०

सं० एवं 67 क आई०टी० एक्ट के अधीन दोषसिद्ध किये जाने योग्य है एवं धारा-506 भा०दं०सं० से दोषमुक्त किये जाने योग्य है तथा अभियुक्त राजुल उर्फ राजू के विरुद्ध विरचित आरोप आरोपत्र धारा - 452, 376, 419, 506 भा० दं० सं० एवं 67 क आई०टी० एक्ट अभियोजन साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त राजुल उर्फ राजू उक्त आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

### आदेश

अभियुक्त रवि को भारतीय दण्ड संहिता की धारा - 452, 376, 419 भा० दं० सं० एवं 67 क आई०टी० एक्ट के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है तथा धारा-506 भा०दं०सं० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। इस प्रकरण में अभियुक्त रवि जमानत पर है। उसके निजी बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदारों को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

अभियुक्त रवि को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु पत्रावली दिनांक 12-06-2023 को पेश हो।

अभियुक्त राजुल उर्फ राजू को भारतीय दण्ड संहिता की धारा - 452, 376, 419, 506 भा० दं० सं० एवं 67 क आई०टी० एक्ट के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त राजुल उर्फ राजू इस प्रकरण में जमानत पर है। उसके निजी बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदारों को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

अभियुक्तगण प्रत्येक की ओर से धारा-437(ए) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं जमानतनामें दाखिल किये जा चुके हैं, जो बाद म्याद अपील या छः माह तक की अवधि तक प्रभावी रहेंगे।

दिनांक 08-06-2023

( अवधेश कुमार सिंह )

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश,  
पोक्सो न्यायालय संख्या-1, फिरोजाबाद।

**दिनांक-12-06-2023**

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त रवी जेरे हिरासत जिला कारागार से न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।

बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उसका यह प्रथम अपराध है, वह गरीब एवं मजदूर व्यक्ति है, उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। उसके घर अन्य कोई कमाने वाला नहीं है। उसके पाँच छोटी बहने हैं और इन्हीं आधारों पर उसे कम से कम सजा दिये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजनपक्ष की ओर से तर्क दिया गया है कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ सामाजिक दृष्टि से बलात्संग जैसा बहुत ही गम्भीर व घृणित अपराध कारित किया गया है और पीड़िता की अश्लील फोटो मोबाइल से खींच कर फर्जी आई०डी० बनाकर फेसबुक पर वायरल कर दिया। इसी आधार पर उसे अधिक से अधिक दण्ड दिये जाने की याचना की गयी है।

उभयपक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता के घर में घुस कर उसके साथ बलात्कार की घटना कारित करना तथा मोबाइल से उसके अश्लील फोटो खींचकर पीड़िता की फर्जी आई०डी० बनाकर उक्त अश्लील फोटो को फेसबुक पर वायरल करने जैसा घृणित कृत्य कारित किया गया है। ऐसी दशा में अभियुक्त के विरुद्ध नरमी बरते जाने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त रवि को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-419 के अपराध के लिए एक वर्ष के कारावास एवं 1000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करना न्यायसंगत है एवं अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 7 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा दिया जाना भी न्यायोचित होगा।

इसी प्रकार अभियुक्त उपरोक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452 के अपराध के लिए 3 वर्ष के कारावास एवं 3000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करना न्यायसंगत है एवं अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 21 का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा दिया जाना भी न्यायोचित होगा।

इसी प्रकार अभियुक्त उपरोक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अपराध के लिए 11 वर्ष के कठोर कारावास एवं 30,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करना न्यायसंगत है एवं अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 7 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा दिया जाना भी न्यायोचित होगा।

इसी प्रकार अभियुक्त उपरोक्त को आई०टी० एक्ट की धारा 67A के अपराध के लिए 3 वर्ष के कारावास एवं 1,00,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करना न्यायसंगत है एवं अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 2 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा दिया जाना भी न्यायोचित होगा।

### आदेश

सत्रवाद संख्या-2037/2021, मुकदमा अपराध संख्या-150/2020 राज्य बनाम रवी आदि, थाना दक्षिण, जिला फिरोजाबाद के मामले में अभियुक्त रवि को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419 के अपराध के लिए एक वर्ष के कारावास एवं 1000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त 7 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।

इसी प्रकार अभियुक्त उपरोक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452 के अपराध के लिए तीन वर्ष के कारावास एवं 3000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त 21 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।

इसी प्रकार अभियुक्त उपरोक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-376 के अपराध के लिए 11 वर्ष के कठोर कारावास एवं 30,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त 7 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।

इसी प्रकार अभियुक्त उपरोक्त को आई०टी० एक्ट की धारा-67A के अपराध के लिए 3 वर्ष के कारावास एवं 1,00,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त 2 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।

अभियुक्त की सभी सजायें साथ-साथ चलेगी।

अर्थदण्ड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को दी जाये तथा शेष धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जमा होगी।

इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि निःशुल्क अभियुक्त को तत्काल प्रदत्त की जाये तथा एक प्रति जिला कारागार को प्रेषित की जाये।

अभियुक्त द्वारा इस प्रकरण में इससे पूर्व में बितायी गयी जेल की अवधि सजा में समायोजित की जाये।

अभियुक्त का सजायाबी अधिपत्र बनाकर उसे सजा भुगतने हेतु सम्बन्धित जिला कारागार प्रेषित किया जाये।

दिनांक 12-06-2023

( अवधेश कुमार सिंह )

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश,  
पोक्सो न्यायालय संख्या-1, फिरोजाबाद।

उपरोक्त निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर उदघोषित किया गया।

दिनांक 12-06-2023

(अवधेश कुमार सिंह )

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश,  
पोक्सो न्यायालय संख्या-1, फिरोजाबाद